Details of Mine Allotment

746. SH. BHARAT BHUSHAN BATRA, MLA: Will the Deputy Chief Minister be Pleased to state: -

a) the details of the terms and conditions in regard to allotment of Dadam mine to the M/S Sunder Marketing Associates and Karamjeet Singh & Company Limited on 03.01.2014;

b) whether it is a fact that Sunder Marketing Associates has requested on 14.05.2015 to the Chief Minister of Haryana for granting permission to transfer 5l percent share of the KJSL to the Sunder Marketing Associates; if so, the details of the application alongwith the action taken thereof; and

c) whether it is a fact that an order has been passed by the Hon'ble Supreme Court on 11.08.2017 to forfeit the security amount of Rs. 28.75 crore deposited by the allotee at the time of mining allotment; if so, the action taken by the Government so far?

Mool Chand Sharma, Minister of Mines, Haryana

a) Sir, Mining lease of Dadam Stone mine was granted in favour of M/s KJSL-Sunder (JV) on 03.01.2014 .M/S Sunder Marketing Associates and Karamjeet Singh & Company Limited were partner in the said Joint Venture, the copy of Letter of Intent dated 03.01.2014 is attached as Annexure 'A'.

b) The representation dated 14.05.2015 was submitted to the Government to allow them to bring another partner in place M/s Karamjeet Singh & Company Limited or to allow them to run the mine (Annexure 'B'). They were allowed to run the mine by transfer of 51% share of M/s Karamjeet Singh & Company Limited. (Annexure 'C')

c) The Hon'ble Supreme Court vide orders dated 11.08.2017 forfeited the security amount of M/s Sunder Marketing Associates. The State Government in compliance with the orders of Hon'ble Supreme Court forfeited the amount of Rs. 28.75 crore.

खान आबंटन का ब्यौरा

746. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.: क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) 03.01.2014 को मैसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएेट तथा कर्मजीत सिंह एंड कम्पनी लिमिटडे को डाडम खान के आबंटन के संबंध में सेवा तथा शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि सुंदर मार्केटिंग एसोसियेट ने 14.05.2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुंदर मार्केटिगं एसोसिएेट को हस्तांतरित किये गए के.जे.एस.एल. को 51 शेयर हस्तांतरित करने के लिये स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया है; यदि हां, तो आवेदन तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि खनन आबंटन के समय ऑलाटी द्वारा 11.08.2017 को 28.75 करोड़ रूपये जमा कराई गई जमानत राशि को जब्त करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है; यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

मूल चन्द शर्मा, खनन मंत्री, हरियाणा

(क) महोदय, डाडम स्टोन खान का खनन पट्टा 03.01.2014 को मैसर्स केजेएसएल–सुंदर (जेवी) के पक्ष में दिया गया था। मैसर्स सुन्दर मार्केटिंग एसोसिएेट्स तथा कर्मजीत सिंह व कम्पनी लिमिटेड उक्त संयुक्त उदयम में भागीदार थे, आश्य पत्र को डाडम खान के आबंटन के संबंध में सेवा तथा शर्तों का ब्यौरा क्या है; दिनांक 03.01.2014 की प्रति अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है।

(ख) मैसर्स करमजीत सिंह व कंपनी लिमिटेड के स्थान पर किसी अन्य भागीदार को लाने या उन्हें खान चलाने की अनुमति देने के लिए सरकार को दिनांक 14.05.2015 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था (अनुलग्नक 'बी')। उन्हें मैसर्स करमजीत सिंह व कंपनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत भाग के हस्तांतरण द्वारा खान चलाने की अनुमति दी गई थी। (अनुलग्नक 'सी')

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.08.2017 के आदेश द्वारा मैसर्स सुन्दर मार्केटिंग एसोसिएेट्स की सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने रूपये 28.75 करोड़ की राशि जब्त कर ली।